न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–13, गाजियाबाद

उपस्थित:–पीठासीन अधिकारी– सौरभ गोयल (एच.जे.एस.)(UP 2757)

सत्र परीक्षण संख्या 98/2020

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रोहित गुप्ता आदि

मुकदमा अपराध संख्या 1918/2019

अंतर्गत धारा 120–B/302, 302/34, 506 भा०दं०सं०

थाना कविनगर, जनपद गाजियाबाद।

14–10–2024

निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज संख्या 140 ख

1– प्रार्थी/ अभियुक्त रोहित गुप्ता की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र दिनांकित 14.10.2024 पत्रावली कागज संख्या 140 ख इस आशय से दिया गया है कि उपरोक्त सत्र परीक्षण वाद न्यायालय में विचाराधीन है तथा आज की तारीख वास्ते सुनवाई नियत है, परन्तु न्यायालय एक मात्र उपरोक्त सत्र परीक्षण वाद को प्रतिदिन न्यायालय आदेश दिनांक 24.05.2022 मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अनुपालन में तिथि नियत की जा रही है, जबकि वादी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 नं० 27/2021 मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित किया था, जिसका नोटिस नं० 16614/2021 है, जिसकी कॉपी दिनांक 01.09.2021 को सरकारी अधिवक्ता द्वारा रिसीव की गयी है जिसकी छायाप्रति साथ में संलग्न है तथा आदेश में सन 2022 अंकित है जो गलत है, जबकि सही सन 2021 होना चाहिए था, जिसका संशोधन वादी ने नहीं कराया है और न्यायालय उसका अनुपालन कर रहे हैं, जबकि यह एक सामान्य आदेश था, जो प्रत्येक केसों में लागू होना चाहिए था, परन्तु न्यायालय द्वारा उक्त केस में ही लागू किया जा रहा है तथा अभियुक्त की ताईजी, अन्जू सिंघल जिनकी जीभ में कैंसर है तथा उसके इलाज व देखभाल के लिये अभियुक्त का उनके साथ में व्यक्तिगत रूप से प्रतिदिन उपस्थित होना आवश्यक है। इसके संबंध में चिकित्सीय प्रपत्रों की छायाप्रतियाँ साथ में संलग्न है, इसलिए न्यायहित में उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त केस में सामान्य तिथि अन्य केसों की तरह नियत करते हुए अथवा अभियुक्त रोहित गुप्ता को व्यक्तिगत हाजरी से कुछ समय के लिये मुक्त किया जाना अति आवश्यक है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में अन्य केसों की तरह सामान्य तिथि अंकित किये जाने अथवा अभियुक्त रोहित गुप्ता को उसकी ताई के इलाज के लिये देखभाल करने हेतु व्यक्तिगत हाजरी से मुक्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

2– प्रार्थना पत्र कागज संख्या 140 ख पर सुना तथा संलग्न प्रपत्रों का अवलोकन किया। मा० उच्च न्यायालय के प्रार्थना पत्र में सन में गलत विवरण अंकित किये जाने का लिखित कथन किया गया है, परन्तु उक्त आदेश प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 संख्या 27/2012 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह आदेश एस०टी० नं० 98/2020 अंतर्गत धारा 120–B/302, 302/34, 506 भा०दं०सं० थाना कविनगर, जनपद गाजियाबाद उक्त जो प्रकरण है, वर्तमान प्रकरण से ही संबंधित है और इस त्रुटि का निस्तारण केवल मा० उच्च न्यायालय के स्तर पर ही हो सकता है। इस पत्रावली का

धारा 309 दं०प्र०सं० के अंतर्गत प्रचलित किये जाने का आदेश स्पष्ट है। अभियुक्त रोहित गुप्ता द्वारा दर्शाया गया कारण कि उसकी ताई की जीभ में कैंसर है, उनकी देखभाल व इलाज के लिए अभियुक्त रोहित गुप्ता को व्यक्तिगत रूप से प्रतिदिन उनके साथ जाना है, स्थगन का आधार सही प्रतीत नहीं होता, क्योंकि ताई का नाम अंजू सिंघल दर्शाया है प्रार्थी/ अभियुक्त का किसी भी कथन से भिन्न अंजू सिंघल का अभियुक्त की ताई होने का कोई प्रमाण नहीं है और जो ताई हैं, केवल अभियुक्त को ही इलाज एवं देखभाल हेतु प्रतिदिन उपस्थित होना है, अन्य कोई व्यक्ति देखभाल व इलाज हेतु उपलब्ध नहीं है, इसके संदर्भ में भी कोई कथन या प्रमाण पत्रावली पर नहीं लगाया है। अतः यह प्रार्थना कि अभियुक्त रोहित गुप्ता को व्यक्तिगत हाजरी से मुक्त किया जाये, उचित प्रतीत नहीं होता। अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित आधार पर्याप्त नहीं है। तदानुसार प्रार्थना पत्र कागज संख्या 140 ख निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

1– प्रार्थी/ अभियुक्त रोहित गुप्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 14.10.2024 पत्रावली कागज संख्या 140 ख निरस्त किया जाता है।

(सौरभ गोयल)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–13,
गाजियाबाद।